



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं०: 1991-मा०सं०-03/उनि०लि०/2014-5(6) मा० सं०-03/2012

दिनांक: 21.08.2014

"परिवर्धन"

अवर अभियन्ता पद से प्रोन्नत कतिपय सहायक अभियन्ताओं को वित्तीय स्तरान्मयन हेतु स्वीकृत आदेश संख्या: 2248-मा०सं०-03/उनि०लि०/2013, दिनांक: 14.08.2013 में निम्नलिखित प्रस्तर-3 एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है:-

3- सारणी के क्रम संख्या: 01, 03 से 12, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 32 से 34, 36, 37, 39 से 41, 53 एवं 54 पर वर्णित 27 कार्मिकों को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरान्मयन अग्रतर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि यदि भविष्य में निगमादेश संख्या: 1254-मा०सं०-04/उनि०लि०/2011, दिनांक: 16.12.2011 के प्रस्तर 2(1)(ख) के परन्तुक के समरूपी प्राविधानों में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है तो यह स्वीकृति भी तदनुसार परिवर्तनीय होगी।

निदेशक (कार्मिक)

पत्र सं०: 1991-मा०सं०-03/उनि०लि०/2014 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।
3. मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईंधन/आर एण्ड एम/जानपद/पीपीएम/तापीय परिचालन/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को इस अनुरोध के साथ कि वह इस आदेश को निगम वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06(रिफार्म)/टाण्डा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण/उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य प्रबन्धक (कैश एवं प्रबन्धन इकाई), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कट फाईल।

आज्ञा से,

(मो० इसलाम)

अनुसचिव (मा०सं०-03)